

पीठासीन अधिकारी :- यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :- राजस्व वाद संख्या :- 108/2018

1. अश्वनी कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी मनफूल सिंह वाला 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. विकास जाखड़ पुत्र श्री प्रेम कुमार जाति जाट साकिन मनफूल सिंह वाला 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

-- वादीगण

--:: बनाम ::--

1. कृष्ण लाल पुत्र श्री चुनी लाल जाति जाट निवासी मनफूल सिंह वाला 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. पृथ्वी राज पुत्रश्री चुनी लाल जाति जाट निवासी मनफूल सिंह वाला 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. महावीर पुत्र श्री चुनी लाल जाति जाट निवासी मनफूल सिंह वाला 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. प्रेम कुमार पुत्र श्री चुनी लाल जाति जाट निवासी मनफूल सिंह वाला 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. विजेता पुत्री श्री कृष्ण लाल जाति जाट साकिन मनफूल सिंह वाला 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. सरिता पुत्री श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी मनफूल सिंह वाला 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. सुमन पुत्री श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी मनफूल सिंह वाला 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. ममता पुत्री श्री प्रेम कुमार जाति जाट निवासी मनफूल सिंह वाला 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

-- प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा

एवम् विभाजन

--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. श्री संजय कुमार जनवेजा अधिवक्ता | वादी                      |
| 2. श्री रोबिन गुम्बर अधिवक्ता      | प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 |
| 3. पैरोकाराज                       | प्रतिवादी संख्या 9        |

--:: निर्णय ::--

दिनांक :- 19.07.2018

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण के दादा श्री चुनी लाल पुत्र श्री रामकरण जाति जाट साकिन मनफूल सिंह वाला 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से वाके चक 18 एल.एन.पी. में 11.875 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि थी, वादीगण के दादा व दादी श्रीमती चन्दो देवी का देहान्त होने के उपरान्त उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को विरासतन प्राप्त हुई। इसके अलावा

लगातार .....2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर



वादीगण के दादा ने उक्त सम्पत्ति की आय से प्रतिवादीगण के नाम से अन्य कृषि भूमियां क्रय की। वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से बहिस्सा बराबर चक 18 एल.एन.पी. पी. पटवार हल्का 17 एल.एन.पी. भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 15/16 का मुरब्बा नम्बर 57 की 2.075, 67 की 2.593, 68 की 2.656, 60 की 3.160 कुल 10.484 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 36/35 का मुरब्बा नम्बर 67 का किला नम्बर 1/1 का 0.126, 10, 11, 20, 21 का 1.012 कुल 1.138 हैक्टर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 68 किला नम्बर 17/1 का 0.063, 18/1 का 0.063, 19/1 का 0.063, 20/1 का 0.064 कुल 0.253 हैक्टर कृषि भूमि, कुल 1.391 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। इसके अलावा इसी चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 7/9 का मुरब्बा नम्बर 59 व 64 की कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी कृष्ण लाल व महावीर के नाम से, इसी चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 30/54 का मुरब्बा नम्बर 59 की कुल 0.632 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी पृथ्वी राज के नाम से व इसी चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 33/18, 19 का मुरब्बा नम्बर 42, 58 व 59 की कुल 3.378 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से, व इसी चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 35/34 का मुरब्बा नम्बर 59 की कुल 0.632 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी प्रेम चन्द के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदीयां सलग्न है।

प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज उक्त भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक व पैतृक भूमि की आय से अर्जित सम्पत्ति हैं। नकल इन्तकाल संलग्न वाद पत्र हैं। प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण लाल, वादी संख्या 1 का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 वादी संख्या 1 की बहिन हैं। प्रतिवादी संख्या 4 प्रेम कुमार वादी संख्या 2 का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 वादी संख्या 2 की बहिन है।

उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 5, 6 व 7 का उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 8 का प्रतिवादी संख्या 4 के साथ हक व हिस्सा बनता है। चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 7 वादी संख्या 1 से व प्रतिवादी संख्या 8, वादी संख्या 2 से प्राकृतिक स्नेह रखती है तथा वह उक्त भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा उन्होने अपने हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से किया हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त भूमि का घरू मौखिक बंटवारा वादी संख्या 1 के साथ किया हुआ है तथा उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी संख्या 1 को 4.301 हैक्टर भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 ने वादी संख्या 2 को 2.530 हैक्टर भूमि बंटवारा में दी हुई है। जिस पर वादीगण काबिज चले आ रहे हैं तथा मौका पर काश्त कर रहे हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 व 4 द्वारा वादीगण को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा देंगे, इस विश्वास पर वादीगण ने उक्त रकबा में से अपने हिस्सा में आए रकबा में बड़ी मेहनत करके व काफी रूपया खर्च करके सुधार कार्य करवाया है।

उक्त रकबा वादीगण के नाम से दर्ज ना होने के कारण वादीगण विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से कहा कि वह घरू बंटवारानुसार वादीगण के हिस्सा की भूमि किलावाईज वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 05.06.2018 को उन्होने ने वादीगण को उनके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

लगातार .....3

इस प्रकार प्रतिवादीगण वादीगण को हक व न्याय नहीं देना चाहता है। उक्त हालातों में उक्त जददी जायदाद में से वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते हैं। इसलिए यह दावा लाना आवश्यक हो गया है। यही वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से उसे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारान हैं तथा वादीगण कब्जानुसार किलावाईज विभाजन करवाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें पक्षकार बनाया गया है अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :-

1. वाके चक 18 एल.एन.पी. के खाता संख्या 15/16 का मुरब्बा नम्बर 57 की 2.075, 67 की 2.593, 68 की 2.656, 60 की 3.160 कुल 10.484 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 36/35 का मुरब्बा नम्बर 67 का किला नम्बर 1/1 का 0.126, 10, 11, 20, 21 की 1.012 कुल 1.138 हैक्टर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 68 किला नम्बर 17/1 की 0.063, 18/1 की 0.063, 19/1 की 0.063, 20/1 की 0.064 की 0.253 हैक्टर कृषि भूमि, कुल 1.391 हैक्टर कृषि भूमि व इसी चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 7/9 का मुरब्बा नम्बर 59 व 64 की कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 30/54 का मुरब्बा नम्बर 59 की कुल 0.632 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 33/18, 19 का मुरब्बा नम्बर 42, 58 व 59 की कुल 3.378 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि व इसी चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 35/34 का मुरब्बा नम्बर 59 की कुल 0.632 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में वादी संख्या 1 को 4.301 हैक्टर का वादी संख्या 2 को 2.530 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि का किलावाईज विभाजन करवाया जाकर, राजस्व रिकार्ड में अलग खाता कायम किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 19.07.2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये। वादीगण की पहचान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री रोबिन गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मे कथन किया गया कि यह कि इस प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष वादी एवं द्वितीय पक्ष प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, प्रतिवादी संख्या 1 व 4 न अपनी पैतृक भूमि का बंटवारा राजीनामा से वादीगण में कर दिया है तथा सभी पक्षकारान द्वारा अपनी अपनी भूमि का किलावाईज बंटवारा कर लिया है, वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं :-

1. वादी संख्या 1 अश्वनी कुमार को :- चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 15/16 का मुरब्बा नम्बर 67 का किला नम्बर 2/.064, 3/1 की 0.190, 8/.253, 9/.063, 12/.063, 13/.253, 18/0.253, 19/.063, 22/.063, 23/.253 कुल 1.518 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 68 का किला नम्बर 1 से 3 की 0.759, 7/2 की 0.126, 8 से 14 की 1.771 कुल 2.656 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 36/35 का मुरब्बा नम्बर 68 का किला नम्बर 17/1 की 0.063, 18/1 की 0.063, 19/1 की 0.063, 20/1 की 0.064 कुल 0.253 हैक्टर कृषि भूमि कुल 4.427 हैक्टर नहरी कृषि भूमि।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

लगातार .....4

2. वादी संख्या 2 विकास जाखड़ को :- चक 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 15/16 का मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 4/.006, 5/.038, 7/.038), 8/.007, 13/.038, 19/2 की 0.114, 20/.253, 21/1 की 0.126 कुल 0.620 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, खाता संख्या 7/9 का मुरब्बा नम्बर 59 का किला नम्बर 23 ता 25 प्रत्येक 0.253 कुल 0.759 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि, खाता संख्या 30/54 का मुरब्बा नम्बर 59 का किला नम्बर 18/.253, 19/.253, 20/1 की 0.126 कुल 0.632 हैक्टर नहरी कृषि भूमि कुल 2.011 हैक्टर कृषि भूमि
3. प्रतिवादी संख्या 2 पृथ्वी राज को :- चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 15/16 का मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 2/.126, 3/.253, 4/.0247, 5/1 की 0.088, 7/2 की 0.088, 8/.246, 9/.127), 11/.253, 12/.253, 13/1 की 0.088, 19/2 की 0.012, कुल 1.781 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, मुरब्बा नम्बर 67 का किला नम्बर 2/.189, 9/.190, 12/.190, 14/2 की 0.126, 19/.190, 22/.190 कुल 1.075 हैक्टर नहरी मय खाला व खाता संख्या 36/35 का मुरब्बा नम्बर 67 का किला नम्बर 1/1 का 0.126, 10, 11, 20, 21 की 1.012 कुल 1.138 हैक्टर कृषि भूमि, खाता संख्या 7/9 का मुरब्बा नम्बर 64 का किला नम्बर 4 व 5 प्रत्येक 0.253 कुल 0.506 हैक्टर नहरी कृषि भूमि कुल 4.500 हैक्टर नहरी कृषि भूमि।
4. प्रतिवादी संख्या 3 महावीर को :- चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 15/16 का मुरब्बा नम्बर 57 का किला नम्बर 6/.152, 14/.152, 15 ता 17 प्रत्येक 0.253, 18/.139, 22/.114, 23 ता 25 प्रत्येक 0.253 कुल 2.075 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 1/.253 2/.127, 9/.126, 10/.253 कुल 0.759 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 33/18, 19 का मुरब्बा नम्बर 59 का किला नम्बर 1/0.076, 2 ता 5 प्रत्येक 0.253 6/1 की 0.165, 15/.253 कुल 1.506 हैक्टर नहरी कृषि भूमि कुल 4.340 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 33 का मुरब्बा नम्बर 42 का किला नम्बर 1/1 में 0.038 हैक्टर खाला कुल 4.378 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि।
5. प्रतिवादी संख्या 4 प्रेम कुमार को :- चक 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 35/34 का मुरब्बा नम्बर 59 का किला नम्बर 20/2 का 0.126, 21/.253, 22/.253 कुल 0.632 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि, खाता संख्या 33/18, 19 का मुरब्बा नम्बर 58 का किला नम्बर 6/.038, 14/.025 15/.215, 16/.253, 17/.177, 23/.114, 24/.253, 25/.253 कुल 1.328 हैक्टर नहरी मय खाला मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 59 का किला नम्बर 16, 17 प्रत्येक 0.253 कुल 0.506 हैक्टर नहरी कृषि भूमि कुल 2.466 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि, का खातेदार घोषित किया जावे।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। प्रतिवादी संख्या 5 से 9 अपनी स्वेच्छा से अपनी पैतृक भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने अपने हिस्सा का हक परित्याग करती हैं। अतः उक्त वर्णित अनुसार वाद पत्र का निर्णय व डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा एतराज ना होगा।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

लगातार .....5

प्रकरण में किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं होने के कारण तनकी बनना नहीं पाये जानें से वादीगण के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस को सुना गया दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपने वाद पत्र को दोहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार करने हेतु निवेदन किया बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

—:: आदेश ::—

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53 के अन्तर्गत उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. वादी संख्या 1 अश्वनी कुमार को :- चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 15/16 का मुरब्बा नम्बर 67 का किला नम्बर 2/.064, 3/1 की 0.190, 8/.253, 9/.063, 12/.063, 13/.253, 18/0.253, 19/.063, 22/.063, 23/.253 कुल 1.518 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 68 का किला नम्बर 1 से 3 की 0.759, 7/2 की 0.126, 8 से 14 की 1.771 कुल 2.656 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 36/35 का मुरब्बा नम्बर 68 का किला नम्बर 17/1 की 0.063, 18/1 की 0.063, 19/1 की 0.063, 20/1 की 0.064 कुल 0.253 हैक्टर कृषि भूमि कुल 4.427 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 विकास जाखड़ को :- चक 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 15/16 का मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 4/.006, 5/.038, 7/.038), 8/.007, 13/.038, 19/2 की 0.114, 20/.253, 21/1 की 0.126 कुल 0.620 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, खाता संख्या 7/9 का मुरब्बा नम्बर 59 का किला नम्बर 23 ता 25 प्रत्येक 0.253 कुल 0.759 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि, खाता संख्या 30/54 का मुरब्बा नम्बर 59 का किला नम्बर 18/.253, 19/.253, 20/1 की 0.126 कुल 0.632 हैक्टर नहरी कृषि भूमि कुल 2.011 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 पृथ्वी राज को :- चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 15/16 का मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 2/.126, 3/.253, 4/.0247, 5/1 की 0.088, 7/2 की 0.088, 8/.246, 9/.127), 11/.253, 12/.253, 13/1 की 0.088, 19/2 की 0.012, कुल 1.781 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, मुरब्बा नम्बर 67 का किला नम्बर 2/.189, 9/.190, 12/.190, 14/2 की 0.126, 19/.190, 22/.190 कुल 1.075 हैक्टर नहरी मय खाला व खाता संख्या 36/35 का मुरब्बा नम्बर 67 का किला नम्बर 1/1 का 0.126, 10, 11, 20, 21 की 1.012 कुल 1.138 हैक्टर कृषि भूमि, खाता संख्या 7/9 का मुरब्बा नम्बर 64 का किला नम्बर 4 व 5 प्रत्येक 0.253 कुल 0.506 हैक्टर नहरी कृषि भूमि कुल 4.500 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 महावीर को :- चक 18 एल.एन.पी. का खाता संख्या 15/16 का मुरब्बा नम्बर 57 का किला नम्बर 6/.152, 14/.152, 15 ता 17 प्रत्येक 0.253, 18/.139, 22/.114, 23 ता 25 प्रत्येक 0.253 कुल 2.075 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 1/.253 2/.127, 9/.126, 10/.253 कुल 0.759 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 33/18, 19 का मुरब्बा नम्बर 59 का किला नम्बर 1/0.076, 2 ता 5 प्रत्येक 0.253 6/1 की 0.165, 15/.253 कुल 1.506 हैक्टर नहरी कृषि भूमि कुल 4.340 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 33 का मुरब्बा नम्बर 42 का किला नम्बर 1/1 में 0.038 हैक्टर खाला कुल 4.378 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

लगातार .....6

(राजस्व वाद संख्या :- 108/2018 अनवान अश्वनी कुमार बनाम कृष्णलाल)

..... 6 .....

5. प्रतिवादी संख्या 4 प्रेम कुमार को :- चक 18 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 35/34 का मुरब्बा नम्बर 59 का किला नम्बर 20/2 का 0.126, 21/.253, 22/.253 कुल 0.632 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि, खाता संख्या 33/18, 19 का मुरब्बा नम्बर 58 का किला नम्बर 6/.038, 14/.025 15/.215, 16/.253, 17/.177, 23/.114, 24/.253, 25/.253 कुल 1.328 हैक्टर नहरी मय खाला मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 59 का किला नम्बर 16, 17 प्रत्येक 0.253 कुल 0.506 हैक्टर नहरी कृषि भूमि कुल 2.466 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि, का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 19.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(यशपाल आहूजा)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
पटन सहायक कलेक्टर  
श्रीगंगानगर